>

Title: Need to grant recognition to Maharaja Ganga Singh university of Bikaner under UGC Act.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय उठाने जा रहा हूं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों को यूजीसी अधिनियम की धारा 12बी के तहत मान्यता प्रदान करता है। ऐसा ही एक प्रकरण मेरे बीकानेर संसदीय क्षेत्र के बीकानेर मुख्यालय स्थित महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय का है। प्रकरण 12बी की मान्यता के लिए विश्वविद्यालय की बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने सिफारिश की है। इसके बाद राज्य सरकार ने भी यूजीसी को सिफारिश के साथ मान्यता के लिए पत्र प्रेषित किया है। जब राजस्थान के राज्यपाल बीकानेर आये थे तब हमने उनसे मिलकर, हम एक डेप्युटेशन के माध्यम से मिले और उन्होंने भी एक सिफारिशी पत्र यूजीसी को भेजा है। मेरा आपके माध्यम से यह कहना है कि मैंने यह मामला नियम 377 के तहत भी उठाया था और उसके बाद एचआरडी मिनिस्ट्री की एक टीम बीकानेर गयी। उन्होंने इन्स्पेक्शन किया और कहा कि यहां सभी चीजें मौजूद हैं।

मेरा आपके माध्यम से कहना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय बीकानेर स्थित महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय को यूजीसी अधिनियम की धारा 12बी के तहत मान्यता दिलवाने की व्यवस्था करे, जिससे बीकानेर संभाग के सभी छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राहत उपलब्ध हो सके ।

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I am having a list of number of speakers, therefore, you have to cooperate with me. So, you may please take one minute each and if you take more time I will not be in a position to accommodate all of you and that will not form part of the record. That is why I would request you to be brief do that I can accommodate all of you. Shri Mahendra Singh Chauhan.